

प्रश्न सं. [ क. 431 ]

**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम**

परिशिष्ट "1"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 431 के प्रश्नांश (क) का उत्तर

वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितताओं, गबन, शासकीय राशि के दुरुपयोग एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों की जानकारी

| क्र | सहकारी समिति का नाम | घटना का वर्ष       | प्रकरण प्रकाश में आने का वर्ष | वित्तीय अनियमितता/ गबन/ शासकीय राशि दुरुपयोग एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं का विवरण |            |                      |                        | योग        |
|-----|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|
|     |                     |                    |                               | वित्तीय अनियमितता                                                                  | गबन        | शासकीय राशि दुरुपयोग | अन्य वित्तीय अनियमितता |            |
| 1   | पैक्स नगरा          | 2018-19 से 2024-25 | 2024-25                       | —                                                                                  | 4368083.00 | —                    | —                      | 4368083.00 |
| 2   | पैक्स पिपलोदा       | 2024-25            | 2025-26                       | —                                                                                  | 1765952.17 | —                    | —                      | 1765952.17 |
| 3   | पैक्स शेरपुर        | 2017-18 से 2022-23 | 2025-26                       | —                                                                                  | 7426647.00 | —                    | —                      | 7426647.00 |

GAYATRI  
PARASHARDigitally signed  
by GAYATRI  
PARASHAR  
Date: 2026.07.09  
18:35:59 +05'30'संयुक्त अध्यक्ष  
सहकारी, म.प्र.[Signature]  
[Stamp]

# **जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम**

परिशिष्ट "2"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 431 के प्रश्नांश (ख) का उत्तर

| क्र. | किन-किन समितियों में कराई गई जांच | जांच एजेंसी    | जांच प्रारंभ करने की तिथि | जांच की वर्तमान स्थिति                                          | जांच निष्कर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | पैक्स नगरा                        | सहकारिता विभाग | 20.08.2024                | जांच पूर्ण, जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.09.2024 को प्राप्त         | सहकारिता विभाग की जांच में 22 कृषक सदस्यों एवं बैंक द्वारा कराई गई जांच में 97 सदस्यों के खातों में अनियमितता होना पाया गया पश्चात् 25 सदस्यों द्वारा बैंक को की गई शिकायत भी प्रमाणित पाए जाने से बैंक द्वारा कराई गई जांच में कुल 122 किसानों के खातों में राशि रु. 4368083/- की अनियमितता होना पाई गई।           |
|      |                                   | बैंक           | 22.08.2024                | जांच पूर्ण, जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.10.2024 को प्राप्त         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2    | पैक्स पिपलोदा                     | सहकारिता विभाग | वर्ष 2024-25              | संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.10.2025 को प्राप्त       | संस्था सिल्लक राशि में हेराफेरी करे राशि रु. 1765952.17 का गबन। प्रकरण में गबन की सम्पूर्ण राशि वसूल।                                                                                                                                                                                                               |
| 3    | पैक्स शेरपुर                      | सहकारिता विभाग | वर्ष 2025-26              | संस्था का विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.11.2025 को प्राप्त | सहकारिता विभाग द्वारा कराये गये विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन में रु. 7445947/- की अनियमितता पाई गई पश्चात् बैंक द्वारा कराई गई जांच में 70 सदस्यों के खातों में नगद राशि रु. 7426647/- का गबन होना पाया गया। बैंक द्वारा कराई गई जांच में विभाग के विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंतर राशि रु. 19300/- अप्रमाणित पाई गई। |
|      |                                   | बैंक           | 22.01.2026                | जांच पूर्ण, जांच प्रतिवेदन दिनांक 02.02.2026 को प्राप्त         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

GAYATRI  
PARASHAR  
R

Digitally signed  
by GAYATRI  
PARASHAR  
Date: 2026.07.09  
18:40:18 +05'30'

संयुक्त अध्यक्ष  
सहकारिता, म.प्र.

सहकारिता विभाग  
जिला रतलाम (पंजाब)

# **जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम**

परिशिष्ट "3"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 431 के प्रश्नांश (घ) का उत्तर

| क्र. | समिति का नाम  | प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी |                      | विभागीय कार्यवाही                                                                                                               | बसुली की जानकारी | आपराधिक कार्यवाही                                                                                                                                                                             |
|------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               | नाम                                       | पद                   |                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                               |
| 1    | पैक्स नगरा    | फकीरचंद्र प्रजापत                         | संस्था सहायक प्रबंधक | दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त होने से कोई कार्यवाही नहीं                                                                     | निरंक            | मुख्य आरोपी संस्था कर्मचारी फकीरचंद्र प्रजापत एवं आनन्दीलाल जैन के विरुद्ध FIR कराई गई जो प्रकरण क्रमांक प्र.सू.रि.सं. 0408 दिनांक 15.05.2025 पर दर्ज है।                                     |
|      |               | आनन्दीलाल जैन                             | संस्था लिपिक         | दिनांक 20.08.2024 को निलम्बित किया गया                                                                                          | निरंक            |                                                                                                                                                                                               |
|      |               | हेमंत हेमावत                              | समिति प्रबंधक        | बैंक पत्र क्र. स्था/प्रशासन/ 76/ 187/ 2025-26 दिनांक 23.04.2025 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई  | निरंक            |                                                                                                                                                                                               |
|      |               | राहुल केलवा                               | समिति प्रबंधक        | बैंक पत्र क्र. स्था/प्रशासन/ 76/ 185/ 2025-26 दिनांक 23.04.2025 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई  | निरंक            |                                                                                                                                                                                               |
|      |               | सुभाष मजावदिया                            | प्रभारी शाखा प्रबंधक | बैंक पत्र क्र. स्था/प्रशासन/ 76/ 1088/ 2025-26 दिनांक 09.07.2025 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई | निरंक            |                                                                                                                                                                                               |
|      |               | सुरेश परासिया                             | शाखा प्रबंधक         | बैंक पत्र क्र. स्था/प्रशासन/ 76/ 1088/ 2025-26 दिनांक 09.07.2025 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई | निरंक            |                                                                                                                                                                                               |
| 2    | पैक्स पिपलोदा | अशोक बाफना                                | संस्था प्रबंधक       | बैंक पत्र क्र. स्था/प्रशासन/ 76/ 2810/ 2025-26 दिनांक 17.12.2025 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई | 1765952 17       | -                                                                                                                                                                                             |
|      |               | मांगीलाल मेहता                            | संस्था सहायक प्रबंधक | दिनांक 12.02.2026 को निलम्बित किया गया।                                                                                         |                  | -                                                                                                                                                                                             |
| 3    | पैक्स शेरपुर  | अशोक बाफना                                | संस्था प्रबंधक       | बैंक पत्र क्र. स्था/प्रशासन/ 76/ 3384/ 2025-26 दिनांक 12.02.2026 को निलम्बित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई।              | निरंक            | दोषी कर्मचारियों श्री अशोक बाफना, समिति प्रबंधक एवं श्री गेंदालाल शर्मा, संस्था सहायक प्रबंधक के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है जो प्रकरण क्रमांक प्र.सू.रि.सं. 0231 दिनांक 09.07.2026 पर दर्ज है। |
|      |               | गेंदालाल शर्मा                            | संस्था सहायक प्रबंधक | दिनांक 12.02.2026 को निलम्बित किया गया                                                                                          | निरंक            |                                                                                                                                                                                               |

GAYATRI  
PARASHAR

Digitally signed by  
GAYATRI PARASHAR  
Date: 2026.07.09  
18:41:37 +05'30'

संयुक्त अध्यक्ष  
सहकारिता, म.प्र.

प्र. म. गायत्री  
सहकारिता जिला रतलाम (म.प्र.)